पंजीकृत पावती उललंघन पत्र

1/7966/2023





भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

મારતાય છાન લ્યૂરા Indian Bureau of Mines Mine Code: 30RAJ23008 माखुपुरा औद्यौगिक क्षेत्र, Makhupura, Industrial Area अजमेर — **305 002 (**राजस्थान) Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

**दिनांक :** 17.04.2023

. संख्या E/3321/MCDR-MiFL0FE/4/2022-AJM-IBM\_RO\_AJM

प्रेषित Shri Daulat Ram Goyal S/O Sh. Net Ram Goyal,

Owner-Pritampuri Iron Ore Mine,

Ward No.4, Shapura Road,

Neem Ka Thana, Distt-Sikar (Rajasthan),

(e-mail: goyalmineral@gmail.com)

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Pritampuri Iron Ore Mine (M.L. 15/2000, Lease area 4.95 Hect.) in Sikar District of Rajasthan State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 14.03.2023 by the undersigned in presence of Sh. S.K. Mishra, Mining Engineer:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of Review of Mining
	Plan (Approved on 31.05.2022): -
	1) During the inspection bench height in the excavated pit was found more than 8m at some
	places whereas proposal of 6m bench height was given in approved review of mining plan.

- 02 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :
  - (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
  - (ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
  - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03 अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पेंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय.

(डी.आर. गुर्जर) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

## प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित: -

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर ।
- 3. सहायक खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नीम का थाना, जिला- सीकर (राजस्थान) ।
- 4. रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्युरो